भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2328

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण

2328. श्री अ. मनि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋणों की समय पर स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा, विशेषकर बेरोजगार युवाओं और महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए धर्मपुरी जिले पर विशेष ध्यान देते हुए, क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने धर्मपुरी में लाभार्थियों को स्थायी स्वरोजगार के लिए पीएमएमवाई ऋणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करने के लिए कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता या सहायता पहल सहित कोई सहायता तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु, विशेषकर धर्मपुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, सबसे अधिक मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले उद्यमों के क्षेत्रों और प्रकारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) धर्मपुरी और तमिलनाडु के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और महिला उद्यमियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए पीएमएमवाई ऋणों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋणों की समय पर स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया, ऋण गारंटी, शाखाओं में प्रचार, जनसमर्थ पोर्टल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण आवेदनों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए मोबाइल ऐप जैसे कई उपाय किए गए हैं।

(ख): राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, बैंकों में मुद्रा नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना जैसी पहल और सहायता प्रणालियाँ सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई हैं ।

इसके अलावा, बैंक अपने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पहलों सहित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बैंक विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए ऋण आउटरीच शिविर आदि भी आयोजित करते हैं।

(ग) और (घ): सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा वित्तपोषित न किए गए सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों का विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों, जिनमें कृषि से संबंधित गतिविधियाँ भी

शामिल हैं, के लिए 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जा रहा है। मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले उद्यमों के क्षेत्रवार ब्यौरे और प्रकार केंद्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं।

हालाँकि, तमिलनाडु और धर्मपुरी जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण खातों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

श्रेणी	**तमिलनाडु**	**धर्मपुरी**
सामान्य	3,98,56,398	3,43,107
अनुसूचित जाति	64,95,540	1,03,311
अनुसूचित जनजाति	7,40,421	12,238
अन्य पिछड़ा वर्ग	1,25,43,441	1,91,522
स्वीकृत ऋण खातों की कुल संख्या*	5,96,35,800	6,50,178
कुल ऋण में से महिलाओं को दिए गए ऋण	4,06,59,850	4,08,030

* ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत ऋण शामिल हैं।

*****